प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक 30.11.2025

थाना कोतवाली, थाना लालगंज व साइबर सेल/थाना के संयुक्त कार्यवाही में आम जनमानस को सरकारी योजना/ट्रेडिंग में लाभ व फ्री में बैंक खाता खुलवाने का झांसा देते हुए बैंक खाता खुलवाकर साइबर अपराध कारित करने वाले 06 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त मोबाइल व नगदी के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना कोतवाली, थाना लालगंज व साइबर सेल बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में साइबर अपराध कारित करने वाले **06 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-** सुजित चौधरी पुत्र हरिप्रसाद चौधरी, **2-** निपेन्द्र चौधरी पुत्र रामविलास उर्फ रामनेवास, **3-** रामनाथ चौहान पुत्र रमेश चौहान को दिनांक-30.11.2025 को मथौली छठ घाट पोखरे के पास से समय करीब 08:10 बजे एवं **अभियुक्तगण 4-** अश्विनी पाठक पुत्र विनोद पाठक, **5-** निखिल त्रिपाठी पुत्र अखिलेश त्रिपाठी, **6-** प्रशान्त मिश्रा पुत्र बृहस्पति मिश्रा को दिनांक-30.11.2025 को समय करीब 09:00 बजे रोडवेज बस्ती से जुर्म धारा स्वीकारोक्ति के आधार पर हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है|

विदित है कि थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-453/2025 धारा-34, 419, 420, 506 IPC व 66D IT Act, **थाना लालगंज** पर 312/2025 धारा 3(5), 318(4), 319(2), 351(3) BNS व 66D IT Act व **थाना सोनहा** पर मु0अ0सं0 285/2025 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 111, 351(3) BNS व 66D IT Act पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के क्रम में उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर बरामदगी व अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया गया है|

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

(सम्बन्धित थाना लालगंज)|

1- सुजित चौधरी पुत्र हरिप्रसाद चौधरी उम्र करीब 25 वर्ष निवासी मकदूम पुर थाना लालगंज जनपद बस्ती|
2- निपेन्द्र चौधरी पुत्र रामविलास उर्फ रामनेवास उम्र करीब 23 वर्ष निवासी डडिया थाना लालगंज जनपद बस्ती|
3- रामनाथ चौहान पुत्र रमेश चौहान उम्र करीब 28 वर्ष निवासी महथा थाना लालगंज जनपद बस्ती|

(सम्बन्धित थाना कोतवाली)|

4- अश्विनी पाठक पुत्र विनोद पाठक उम्र 25 वर्ष करीब निवासी गोविन्दपारा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती|
5- निखिल त्रिपाठी पुत्र अखिलेश त्रिपाठी उम्र 22 वर्ष निवासी नरायनपुर तिवारी थाना हरैया जनपद बस्ती|
6- प्रशान्त मिश्रा पुत्र बृहस्पति मिश्रा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी बिहरा खास थाना हरैया जपनद बस्ती|

अभियुक्तगण के अपराध कारित करने का तरीका-

थाना कोतवाली- अभियुक्तों द्वारा आम जनमानस को इन्वेस्टमेण्ट/ ट्रेडिंग में लाभ मिलने का झांसा देकर उनके खातों का प्रयोग देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों से साइबर ठगी कर उससे अर्जित धन को प्राप्त करने हेतु किया गया है |

थाना लालगंज- अभियुक्तों द्वारा बैंक कर्मचारी की मदद से वादी व आम जनमानस को एक्सिस बैंक में फ्री में बैंक खाता खोलने का झांसा देकर बैंक नये खाते खुलवाये गये है जिसमें अभियुक्तों द्वारा फर्जी/ प्री एक्टीवेटेड सिम कार्ड को लिंक कराया गया एवं खाते पर जारी ए०टी०एम० कार्ड, चेक बुक आदि को अपने पास रखकर उन खातों का प्रयोग देश के विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित जगहों से साइबर अपराध कारित कर उनसे अर्जित धन को प्राप्त करने हेतु किया गया है |

थाना सोनहा- अभियुक्तों द्वारा गांव-गांव घूमकर आम/ भोली-भाली जनता को सरकारी योजना में धन मिलने का लालच देकर बैंक खाते खुलवाये गये एवं उन सभी बैंक खातों का प्रयोग देश के विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित जगहों से साइबर अपराध कारित कर उनसे अर्जित धन को प्राप्त करने हेतु किया गया है |

उपरोक्त तीनों प्रकरण में अब तक **06 अभियुक्तों** की गिरफ्तारी की गयी है | प्राथमिक रूप से तीनों प्रकरण में अब तक **38 बैंक खाते** प्रकाश में आये है, जिन पर देश के विभिन्न राज्यों से **कुल 74** से भी अधिक शिकायतें दर्ज हैं, जहां दर्ज शिकायतों के सापेक्ष **अब तक कुल रुपयों 4,49,61,225/- (चार करोड़ उन्नचास लाख इकसठ हजार दो सौ पच्चीस) रूपयों** की साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया है |

प्रकरण से सम्बन्धित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है |

बरामदगी का विवरण-

1- एक अदद पासबुक इण्डिन बैंक खाताधारक प्रिंस चौधरी |

2- तीन अदद मोबाइल व रुपये 650/- नगद |

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लिखित है कि साइबर अपराध में प्रयुक्त म्यूल खातों के सत्यापन के क्रम में जनपद बस्ती के **केस 1-** थाना कोतवाली पर दिनांक-27.11.2025 को मु0अ0सं0-453/2025 धारा-34, 419, 420, 506 IPC व 66D IT Act पंजीकृत किया गया जिसमें वादी प्रिन्स चौधरी पुत्र श्री प्रहलाद चौधरी निवासी ग्राम डिडौहा थाना कोतवाली जनपद बस्ती द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से शिकातय दर्ज करायी गयी थी कि दिनांक-06.02.2024 को प्रार्थी के खाते व उनके मित्र शिवा मोदनवाल पुत्र सन्तोष कुमार निवासी शिवनगर तुर्कहिया पोस्ट गांधीनगर थाना कोतवाली जनपद बस्ती के खाते को इन्वेस्टमेन्ट ट्रेडिंग पर कमीशन दिलाने के नाम पर अभियुक्तों द्वारा उनके खाते से सबंधित समस्त जानकारी जैसे खाता सख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड, यू०पी०आई० आई0डी0, क्यू०आर० स्कैनर प्राप्त कर उनके व उनके मित्र शिवा के खाते का दुरुपयोग साइबर फ्रॉड के पैसों के लिये किया गया | खाता होल्ड होने से कुछ दिन पहले अश्वनी व निखिल के द्वारा उनके खाते में क्रमशः रुपये 1,000/- व 200/- कुल 1,200/- रूपया डाला गया था प्रार्थी ने यू0पी0-112 पर फोन कर पुलिस बुलाने की बात कही तो इन लोगों ने प्रार्थी का कॉलर पकड़ लिया और धमकी देने लगे कि पुलिस के पास जाओगे तो तुम्हे जान से मार देंगे |

केस 2- थाना लालगंज पर दिनांक-27.11.2025 को वादी दिनेश कुमार पुत्र धनुषधारी ग्राम मथौली पोस्ट डरवलिया थाना लालगंज जनपद बस्ती द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराया गया कि अभियुक्तों व उनके सहयोगी द्वारा वादी व वादी के दोस्त अजय कुमार पुत्र रामसहाय निवासी पंखोबारी थाना लालगंज बस्ती व पवन कुमार विश्वकर्मा पुत्र घनश्याम विश्वकर्मा निवासी सजना खोर थाना लालगंज बस्ती का एक्सिस बैंक में फ्री खाता खुलावाकर चेक बुक, ए०टी०एम०, पासबुक सब कुछ फ्री में देने की बात बतायी गयी, जिस बात पर विश्वास कर वादी व वादी के मित्रो द्वारा निपेन्द्र के सी०एच०सी० जो देईसाङ में है, वहाँ पर खाता खुलावाया, जहां खाता खुलने के बाद वादी व वादी के दोस्तो द्वारा खाता नम्बर, पासबुक, चेकबुक माँगा गया तो सुजीत और निपेन्द्र द्वारा कहा गया कि जब खाता चालू होगा, तब मिलेगा | कुछ दिन बाद पुनः वादी व पवन विश्वकर्मा बस्ती एक्सिस बैंक के ब्रांच पर जाकर हरिओम दूबे से अपने खाते का पासबुक, चेक बुक और ए०टी०एम० कार्ड मांगने पर खाता नं0 की मांग की गयी जो ना होने की स्थिति में अभियुक्तों द्वारा धमकी देते हुए कि जो करना है कर लो कहते हुए धमकी दी गयी, जिस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-312/2025 धारा-3(5), 318(4), 319(2), 351(3) BNS व 66D IT Act पंजीकृत किया गया |

केस 3- थाना सोनहा पर दिनांक-27.11.2025 को वादी रमेश मौर्या पुत्र स्व0 छटंकी मौर्या निवासी ग्राम कनेथू बुजुर्ग थाना सोनहा जनपद बस्ती द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराया गया कि विपक्षीगण द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आवेदक व गांव के अन्य लोगो को मोदी जी की योजना बताकर झांसे में लेकर बैंक खाता खुलवाकर ए०टी०एम०, पासबुक व अन्य प्रपत्र आदि अपने पास रख कर साइबर फ्राड करना, ए०टी०एम० व पासबुक आदि मांगने पर जान से मारने की धमकी दिया गया, जिस आधार पर थाना सोनहा पर मु0अ0सं0-285/2025 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 111, 351(3) BNS व 66D IT Act पंजीकृत किया गया |

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दिनेश चन्द्र चौधरी मय पुलिस टीम जनपद बस्ती |
2- प्रभारी निरीक्षक लालगंज संजय कुमार मय पुलिस टीम जनपद बस्ती |
3- प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना कुलदीप त्रिपाठी मय साइबर टीम जनपद बस्ती |
4- प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 शेषनाथ गौड़ मय साइबर सेल टीम जनपद बस्ती |